



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-01022026-269755
CG-DL-E-01022026-269755

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 81]
No. 81]

नई दिल्ली, रविवार, फरवरी 1, 2026/माघ 12, 1947
NEW DELHI, SUNDAY, FEBRUARY 1, 2026/MAGHA 12, 1947

वित्त मंत्रालय
(राजस्व विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 1 फरवरी, 2026

सं. 01/2026-सीमाशुल्क

सा.का.नि. 82(अ).—सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 (1962 का 52) की धारा 25 की उप-धारा (1) के साथ पठित वित्त अधिनियम, 2018 (2018 का 13) की धारा 110 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार, इस बात से संतुष्ट होते हुए कि ऐसा करना जनहित में आवश्यक है, एतद्वारा नीचे दी गई सारणी के स्तंभ (2) में विनिर्दिष्ट, वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की भारत सरकार की निम्नलिखित अधिसूचनाओं को उक्त सारणी के स्तंभ (3) में संगत प्रविष्टि में विनिर्दिष्ट तरीके से संशोधन करती है, अर्थात्:—

सारणी

क्र. सं.	अधिसूचना संख्या और दिनांक	संशोधन
(1)	(2)	(3)
1.	अधिसूचना सं. 248-सीमाशुल्क, दिनांक 2 अगस्त, 1976, जो भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उपखंड (i) में सा.का.नि. 617(अ), दिनांक 2 अगस्त, 1976 के तहत प्रकाशित हुई	उक्त अधिसूचना के दूसरे पैराग्राफ में, अंक, अक्षर और शब्द “31 मार्च, 2026” के स्थान पर अंक, अक्षर और शब्द “31 मार्च, 2028” प्रतिस्थापित किया जाएगा।
2.	अधिसूचना सं. 32/1997-सीमाशुल्क, दिनांक 1 अप्रैल, 1997, जो भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उपखंड (i) में सा.का.नि.188(अ), दिनांक 1 अप्रैल, 1997 के तहत प्रकाशित हुई	उक्त अधिसूचना के दूसरे पैराग्राफ में, अंक, अक्षर और शब्द “31 मार्च, 2026” के स्थान पर अंक, अक्षर और शब्द “31 मार्च, 2028” प्रतिस्थापित किया जाएगा।
3.	अधिसूचना सं. 24/2001-सीमाशुल्क, दिनांक 1 मार्च, 2001, जो भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उपखंड (i) में सा.का.नि.123(अ), दिनांक 1 मार्च, 2001 के तहत प्रकाशित हुई	उक्त अधिसूचना के दूसरे पैराग्राफ में, अंक, अक्षर और शब्द “31 मार्च, 2026” के स्थान पर अंक, अक्षर और शब्द “31 मार्च, 2028” प्रतिस्थापित किया जाएगा।
4.	अधिसूचना सं. 25/2001-सीमाशुल्क, दिनांक 1 मार्च, 2001, जो भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उपखंड (i) में सा.का.नि.124(अ), दिनांक 1 मार्च, 2001 के तहत प्रकाशित हुई	उक्त अधिसूचना के दूसरे पैराग्राफ में, अंक, अक्षर और शब्द “31 मार्च, 2026” के स्थान पर अंक, अक्षर और शब्द “31 मार्च, 2028” प्रतिस्थापित किया जाएगा।
5.	अधिसूचना सं. 25/2002-सीमाशुल्क, दिनांक 1 मार्च, 2002, जो भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उपखंड (i) में सा.का.नि.122(अ), दिनांक 1 मार्च, 2002 के तहत प्रकाशित हुई	उक्त अधिसूचना की सारणी में, क्र. सं. 69क के समक्ष, स्तंभ (3) में, “विद्युत चालित वाहनों” शब्दों के पश्चात “या बैटरी ऊर्जा भंडारण प्रणाली (बीईएसएस)” शब्द अंतःस्थापित किए जाएंगे।
6.	अधिसूचना सं. 36/2024-सीमाशुल्क, दिनांक 23 जुलाई, 2024, जो भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उपखंड (i) में सा.का.नि. 439(अ), दिनांक 23 जुलाई, 2024 के तहत प्रकाशित हुई	उक्त अधिसूचना में— (i) सारणी में क्रम सं. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 21, 38, 39, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55 तथा उनसे संबंधित प्रविष्टियाँ लोपित की जाएंगी; (ii) दूसरे पैराग्राफ में, निम्नलिखित परंतुक जोड़ा जाएगा, अर्थात्:— “परंतु इस अधिसूचना में निहित कोई भी बात 30 अप्रैल, 2026 के बाद प्रभावी नहीं होगी।”

7.	अधिसूचना सं. 29/2025-सीमाशुल्क, दिनांक 9 मई, 2025, जो भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उपखंड (i) में सा.का.नि. 302(अ), दिनांक 9 मई, 2025 के तहत प्रकाशित हुई	उक्त अधिसूचना में, सारणी के पश्चात तथा अनुलग्नक से पूर्व, निम्नलिखित पैराग्राफ अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:- “2. इस अधिसूचना में निहित कोई भी बात 31 मार्च, 2028 के पश्चात प्रभावी नहीं होगी।”
----	--	---

2. यह अधिसूचना 2 फरवरी, 2026 से प्रवृत्त होगी।

[फा. सं. 334/04/2026-टीआरयू]

धीरज शर्मा, अवर सचिव

टिप्पणी:

1. प्रधान अधिसूचना संख्या 248-सीमाशुल्क, दिनांक 2 अगस्त, 1976, भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उपखंड (i) में संख्या सा.का.नि. 617(अ), दिनांक 2 अगस्त, 1976 के तहत प्रकाशित हुई थी और अंतिम बार अधिसूचना संख्या 38/2024-सीमाशुल्क, दिनांक 23 जुलाई, 2024 के माध्यम से संशोधित की गई थी, जो भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उपखंड (i) में संख्या सा.का.नि. 441(अ), दिनांक 23 जुलाई, 2024 के तहत प्रकाशित हुई थी।
2. प्रधान अधिसूचना संख्या 32/1997-सीमाशुल्क, दिनांक 1 अप्रैल 1997, भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उपखंड (i) में संख्या सा.का.नि. 188(अ), दिनांक 1 अप्रैल 1997 के तहत प्रकाशित हुई थी और अंतिम बार अधिसूचना संख्या 38/2024-सीमा शुल्क, दिनांक 23 जुलाई 2024 के माध्यम से संशोधित की गई थी, जो भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उपखंड (i) में संख्या सा.का.नि. 441(अ), दिनांक 23 जुलाई 2024 के तहत प्रकाशित हुई थी।
3. प्रधान अधिसूचना संख्या 24/2001-सीमा शुल्क, दिनांक 1 मार्च, 2001, भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उपखंड (i) में संख्या सा.का.नि. 123(अ), दिनांक 1 मार्च, 2001 के तहत प्रकाशित हुई थी और अंतिम बार अधिसूचना संख्या 38/2024-सीमा शुल्क, दिनांक 23 जुलाई, 2024 के माध्यम से संशोधित की गई थी, जो भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उपखंड (i) में संख्या सा.का.नि. 441(अ), दिनांक 23 जुलाई, 2024 के तहत प्रकाशित हुई थी।
4. प्रधान अधिसूचना संख्या 25/2001-सीमा शुल्क, दिनांक 1 मार्च, 2001, भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उपखंड (i) में संख्या सा.का.नि. 124(अ), दिनांक 1 मार्च, 2001 के तहत प्रकाशित हुई थी और अंतिम बार अधिसूचना संख्या 38/2024-सीमा शुल्क, दिनांक 23 जुलाई, 2024 के माध्यम से संशोधित की गई थी, जो भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उपखंड (i) में संख्या सा.का.नि. 441(अ), दिनांक 23 जुलाई, 2024 के तहत प्रकाशित हुई थी।
5. प्रधान अधिसूचना संख्या 25/2002-सीमा शुल्क, दिनांक 1 मार्च, 2002, भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उपखंड (i) में संख्या सा.का.नि. 122(अ), दिनांक 1 मार्च, 2002 के तहत प्रकाशित हुई थी और अंतिम बार अधिसूचना संख्या 11/2025-सीमा शुल्क, दिनांक 1 फरवरी, 2025 के माध्यम से संशोधित की गई थी, जो भारत

के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उपखंड (i) में संख्या सा.का.नि. 104(अ), दिनांक 1 फरवरी, 2025 के तहत प्रकाशित हुई थी।

6. प्रधान अधिसूचना संख्या 36/2024-सीमा शुल्क, दिनांक 23 जुलाई, 2024, भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उपखंड (i) में संख्या सा.का.नि. 439(अ), दिनांक 23 जुलाई, 2024 के तहत प्रकाशित की गई थी।
7. प्रधान अधिसूचना संख्या 29/2025-सीमा शुल्क, दिनांक 9 मई, 2025, भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उपखंड (i) में संख्या सा.का.नि. 302(अ), दिनांक 9 मई, 2025 के तहत प्रकाशित हुई थी और अंतिम बार अधिसूचना संख्या 38/2025-सीमा शुल्क, दिनांक 17 सितंबर, 2025 के माध्यम से संशोधित की गई थी, जो भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उपखंड (i) में संख्या सा.का.नि. 645(अ), दिनांक 17 सितंबर, 2025 के तहत प्रकाशित हुई थी।

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Revenue)

NOTIFICATION

New Delhi, the 1st February, 2026

No. 01/2026-Customs

G.S.R. 82(E).— In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 25 of the Customs Act, 1962 (52 of 1962) read with Section 110 of Finance Act, 2018 (13 of 2018), the Central Government, on being satisfied that it is necessary in the public interest so to do, hereby amends the following notifications of the Government of India in the Ministry of Finance (Department of Revenue), specified in column (2) of the Table below, shall be amended in the manner specified in the corresponding entries in column (3) of the said Table, namely:-

TABLE

S. No.	Notification No. and date	Amendments
(1)	(2)	(3)
1.	Notification No. 248-Cus, dated the 2nd August, 1976, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i) vide number G.S.R. 617(E), dated the 2 nd August, 1976.	In the said notification, in the second paragraph, for the figures, letters and word "31st March, 2026", the figures, letters and word "31st March, 2028" shall be substituted.
2.	Notification No. 32/1997-Customs dated 1st April 1997 published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i) vide number G.S.R. 188 (E), dated the 1st April, 1997	In the said notification, in the second paragraph, for the figures, letters and word "31st March, 2026", the figures, letters and word "31st March, 2028" shall be substituted.
3.	Notification No. 24/2001-Customs, dated 1 st March, 2001, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i) vide number G.S.R. 123(E), dated the 1 st March, 2001	In the said notification, in the second paragraph, for the figures, letters and word "31st March, 2026", the figures, letters and word "31st March, 2028" shall be substituted.
4.	Notification No. 25/2001-Customs, dated 1 st March, 2001 published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i) vide number G.S.R. 124(E), dated the 1 st March, 2001	In the said notification, in the second paragraph, for the figures, letters and word "31st March, 2026", the figures, letters and word "31st March, 2028" shall be substituted.

5.	Notification No. 25/2002-Customs, dated the 1 st March, 2002, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i) <i>vide</i> number G.S.R. 122(E), dated the 1 st March, 2002	In the said notification, in the TABLE, against S. No. 69A, in column (3), after the words “Electrically Operated Vehicles”, the words “or Battery Energy Storage Systems (BESS)” shall be inserted;
6.	Notification No. 36/2024-Customs, dated the 23 rd July, 2024, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i) <i>vide</i> number G.S.R. 439(E), dated the 23 rd July, 2024	In the said notification,- (i) in the Table, Sl. Nos. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 21, 38, 39, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55 and entries relating thereto shall be omitted; (ii) to the second paragraph, the following proviso shall be inserted, namely:- “Provided that nothing contained in this notification shall have effect after the 30 th day of April, 2026.”.
7.	Notification No. 29/2025-Customs, dated the 9 th May, 2025, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i) <i>vide</i> number G.S.R. 302(E), dated the 9 th May, 2025	In the said notification, after the TABLE and before the ANNEXURE, the following paragraph shall be inserted, namely:- "2. Nothing contained in this notification shall have effect after the 31 st March, 2028."

2. This notification shall come into force on the 2nd day of February, 2026.

[F. No. 334/04/2026-TRU]

DHEERAJ SHARMA, Under Secy.

Note:-

1. The principal notification No. 248-Cus, dated the 2nd August, 1976, was published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i), *vide* number G.S.R. 617(E), dated the 2nd August, 1976, and was last amended *vide* notification No. 38/2024-Customs, dated the 23rd July, 2024, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i), *vide* number G.S.R. 441(E), dated the 23rd July, 2024.
2. The principal notification No. 32/1997-Customs, dated the 1st April 1997, was published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i) in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i), *vide* number G.S.R. 188(E), dated the 1st April 1997, and was last amended *vide* notification No. 38/2024-Customs, dated the 23rd July, 2024, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i), *vide* number G.S.R. 441(E), dated the 23rd July, 2024.
3. The principal notification No. 24/2001-Customs, dated the 1st March, 2001, was published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i) *vide* number G.S.R. 123(E), dated the 1st March, 2001 and was last amended *vide* notification No. 38/2024-Customs, dated the 23rd July, 2024, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i), *vide* number G.S.R. 441(E), dated the 23rd July, 2024.
4. The principal notification No. 25/2001-Customs, dated the 1st March, 2001, was published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i), *vide* number G.S.R. 124(E), dated the 1st March, 2001 and was last amended *vide* notification No. 38/2024-Customs, dated the 23rd July, 2024, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i), *vide* number G.S.R. 441(E), dated the 23rd July, 2024.
5. The principal notification No. 25/2002-Customs, dated the 1st March, 2002, was published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i), *vide* number G.S.R. 122(E), dated the 1st March, 2002 and was last amended *vide* notification No. 11/2025-Customs, dated the 1st February, 2025, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i), *vide* number G.S.R. 104(E), dated the 1st February, 2025.
6. The principal notification No. 36/2024-Customs, dated the 23rd July, 2024, was published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i) in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i), *vide* number G.S.R. 439(E), dated the 23rd July, 2024.

7. The principal notification No. 29/2025-Customs, dated the 9th May, 2025, was published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i), *vide* number G.S.R. 302(E), dated the 9th May, 2025 and was last amended *vide* notification No. 38/2025-Customs, dated the 17th September, 2025, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i), *vide* number G.S.R. 645(E), dated the 17th September, 2025.

अधिसूचना

नई दिल्ली, 1 फरवरी, 2026

सं. 02/2026-सीमाशुल्क

सा.का.नि. 83(अ).— सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 (1962 का 52) की धारा 25 की उप धारा (1) और सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 (1975 का 51) की धारा 3 की उप-धारा (12) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्र सरकार, इस बात से संतुष्ट होते हुए कि ऐसा करना जनहित में आवश्यक है, एतद्वारा, भारत सरकार, वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना संख्या 45/2025-सीमाशुल्क, दिनांक 24 अक्टूबर, 2025 जिसे सा.का.नि. संख्या 781 (अ), दिनांक 24 अक्टूबर, 2025 के तहत भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उप-खंड (i) में प्रकाशित किया गया था, में और आगे निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात् :-
उक्त अधिसूचना में,-

I. तालिका I में,-

- 1) क्रम सं. 1 और उससे संबंधित प्रविष्टियों का लोप किया जाएगा;
- 2) क्रम सं. 4 और उससे संबंधित प्रविष्टियों का 1 मई, 2026 से लोप किया जाएगा;
- 3) क्रम सं. 5 के सामने, स्तम्भ (3) में, अंत में निम्नलिखित परंतुक अन्तःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:-
“परंतु इस क्रम सं. में अंतर्विष्ट कोई बात 31 मार्च, 2028 के पश्चात् प्रभावी नहीं होगी।”;
- 4) क्रम सं. 7 और उससे संबंधित प्रविष्टियों का 1 मई, 2026 से लोप किया जाएगा;
- 5) क्रम सं. 10 और उससे संबंधित प्रविष्टियों का 1 मई, 2026 से लोप किया जाएगा;
- 6) क्रम सं. 12 के सामने, स्तम्भ (6) में, प्रविष्टियों के लिए “3 और 88” को प्रतिस्थापित किया जाएगा;
- 7) क्रम सं. 13 और उससे संबंधित प्रविष्टियों का 1 मई, 2026 से लोप किया जाएगा;
- 8) क्रम सं. 14 के सामने, स्तम्भ (3) में, परंतुक में, अंक, अक्षर और शब्द “31 मार्च, 2026” के स्थान पर अंक, अक्षर और शब्द “31 मार्च, 2028” को प्रतिस्थापित किया जाएगा;
- 9) क्रम सं. 24 और उससे संबंधित प्रविष्टियों का 1 मई, 2026 से लोप किया जाएगा;
- 10) क्रम सं. 25 और उससे संबंधित प्रविष्टियों का 1 मई, 2026 से लोप किया जाएगा;
- 11) क्रम सं. 26 और उससे संबंधित प्रविष्टियों का 1 मई, 2026 से लोप किया जाएगा;
- 12) क्रम सं. 27 और उससे संबंधित प्रविष्टियों का 1 मई, 2026 से लोप किया जाएगा;
- 13) क्रम सं. 30 और उससे संबंधित प्रविष्टियों का 1 मई, 2026 से लोप किया जाएगा;
- 14) क्रम सं. 31 और उससे संबंधित प्रविष्टियों का 1 मई, 2026 से लोप किया जाएगा;
- 15) क्रम सं. 32 और उससे संबंधित प्रविष्टियों का 1 मई, 2026 से लोप किया जाएगा;
- 16) क्रम सं. 33 और उससे संबंधित प्रविष्टियों का 1 मई, 2026 से लोप किया जाएगा;
- 17) क्रम सं. 34 और उससे संबंधित प्रविष्टियों का 1 मई, 2026 से लोप किया जाएगा;
- 18) क्रम सं. 40 और उससे संबंधित प्रविष्टियों का 1 मई, 2026 से लोप किया जाएगा;
- 19) क्रम सं. 58 के सामने, स्तम्भ (3) में, परंतुक में, अंक, अक्षर और शब्द “31 मार्च, 2026” के स्थान पर अंक, अक्षर और शब्द “31 मार्च, 2028” को प्रतिस्थापित किया जाएगा;

- 20) क्रम सं. 61 के सामने, स्तम्भ (3) में, परंतुक में, अंक, अक्षर और शब्द “31 मार्च, 2026” के स्थान पर अंक, अक्षर और शब्द “31 मार्च, 2028” को प्रतिस्थापित किया जाएगा;
- 21) क्रम सं. 62 और उससे संबंधित प्रविष्टियों का 1 मई, 2026 से लोप किया जाएगा;
- 22) क्रम सं. 63 और उससे संबंधित प्रविष्टियों का 1 मई, 2026 से लोप किया जाएगा;
- 23) क्रम सं. 64 और उससे संबंधित प्रविष्टियों का 1 मई, 2026 से लोप किया जाएगा;
- 24) क्रम सं. 65 और उससे संबंधित प्रविष्टियों का 1 मई, 2026 से लोप किया जाएगा;
- 25) क्रम सं. 67 और उससे संबंधित प्रविष्टियों का 1 मई, 2026 से लोप किया जाएगा;
- 26) क्रम सं. 68 और उससे संबंधित प्रविष्टियों का 1 मई, 2026 से लोप किया जाएगा;
- 27) क्रम सं. 69 के सामने, स्तम्भ (3) में, परंतुक में, अंक, अक्षर और शब्द “31 मार्च, 2026” के स्थान पर अंक, अक्षर और शब्द “31 मार्च, 2028” को प्रतिस्थापित किया जाएगा;
- 28) क्रम सं. 76 और उससे संबंधित प्रविष्टियों का 1 मई, 2026 से लोप किया जाएगा;
- 29) क्रम सं. 83 और उससे संबंधित प्रविष्टियों का 1 मई, 2026 से लोप किया जाएगा;
- 30) क्रम सं. 84 के सामने, स्तम्भ (3) में, परंतुक में, अंक, अक्षर और शब्द “31 मार्च, 2026” के स्थान पर अंक, अक्षर और शब्द “31 मार्च, 2028” को प्रतिस्थापित किया जाएगा;
- 31) क्रम सं. 84 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात्, निम्नलिखित क्रम सं. और प्रविष्टियां अन्तःस्थापित की जाएंगी, अर्थात् :-

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
“84क.	2612 20 00	मोनाज़ाइट	शून्य	-	-”;

- 32) क्रम सं. 85 के सामने, स्तम्भ (3) में, परंतुक में, अंक, अक्षर और शब्द “31 मार्च, 2026” के स्थान पर अंक, अक्षर और शब्द “31 मार्च, 2028” को प्रतिस्थापित किया जाएगा;
- 33) क्रम सं. 86 और उससे संबंधित प्रविष्टियों का 1 मई, 2026 से लोप किया जाएगा;
- 34) क्रम सं. 87 और उससे संबंधित प्रविष्टियों का 1 मई, 2026 से लोप किया जाएगा;
- 35) क्रम सं. 93 और उससे संबंधित प्रविष्टियों का 1 अप्रैल, 2026 से लोप किया जाएगा;
- 36) क्रम सं. 95 और उससे संबंधित प्रविष्टियों का 1 अप्रैल, 2026 से लोप किया जाएगा;
- 37) क्रम सं. 98 के सामने, स्तम्भ (3) में, परंतुक में, अंक, अक्षर और शब्द “31 मार्च, 2026” के स्थान पर अंक, अक्षर और शब्द “31 मार्च, 2028” को प्रतिस्थापित किया जाएगा;
- 38) क्रम सं. 99 के सामने, स्तम्भ (3) में, परंतुक में, अंक, अक्षर और शब्द “31 मार्च, 2026” के स्थान पर अंक, अक्षर और शब्द “31 मार्च, 2028” को प्रतिस्थापित किया जाएगा;
- 39) क्रम सं. 107 और उससे संबंधित प्रविष्टियों का 1 अप्रैल, 2026 से लोप किया जाएगा;
- 40) क्रम सं. 109 और उससे संबंधित प्रविष्टियों का 1 मई, 2026 से लोप किया जाएगा;
- 41) क्रम सं. 110 और उससे संबंधित प्रविष्टियों का 1 मई, 2026 से लोप किया जाएगा;
- 42) क्रम सं. 110 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात्, निम्नलिखित क्रम सं. और प्रविष्टियां अन्तःस्थापित की जाएंगी, अर्थात् :-

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
“110क.	2841 90 00	सोडियम एंटीमोनेट जिसका उपयोग सोलर ग्लास के निर्माण में किया जाता है	शून्य	-	3

		परंतु कि इस क्रम सं. में दी गई कोई भी बात 31 मार्च, 2028 के बाद लागू नहीं होगी।			
110ख.	2841 90 00	बेरिलियम और रीनियम के ऑक्सोमेटेलिक या पेरोक्सोमेटेलिक एसिड के लवण	शून्य	-	-”;

- 43) क्रम सं. 111 के सामने, स्तम्भ (3) में, परंतुक में, अंक, अक्षर और शब्द “31 मार्च, 2026” के स्थान पर अंक, अक्षर और शब्द “31 मार्च, 2028” को प्रतिस्थापित किया जाएगा;
- 44) क्रम सं. 111 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात्, निम्नलिखित क्रम सं. और प्रविष्टियां अन्तःस्थापित की जाएंगी, अर्थात्-

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
“111क.	2846	रेयर अर्थ मेटल्स के अकार्बनिक या कार्बनिक यौगिक	शून्य	-	-”;

- 45) क्रम सं. 112 के सामने, स्तम्भ (3) में, परंतुक में, अंक, अक्षर और शब्द “31 मार्च, 2026” के स्थान पर अंक, अक्षर और शब्द “31 मार्च, 2028” को प्रतिस्थापित किया जाएगा;
- 46) क्रम सं. 113 और उससे संबंधित प्रविष्टियों का लोप किया जाएगा;
- 47) क्रम सं. 114 के सामने, स्तम्भ (3) में, परंतुक में, अंक, अक्षर और शब्द “31 मार्च, 2026” के स्थान पर अंक, अक्षर और शब्द “31 मार्च, 2028” को प्रतिस्थापित किया जाएगा;
- 48) क्रम सं. 115 और उससे संबंधित प्रविष्टियों का 1 मई, 2026 से लोप किया जाएगा;
- 49) क्रम सं. 116 और उससे संबंधित प्रविष्टियों का 1 मई, 2026 से लोप किया जाएगा;
- 50) क्रम सं. 117 और उससे संबंधित प्रविष्टियों का 1 अप्रैल, 2026 से लोप किया जाएगा;
- 51) क्रम सं. 118 और उससे संबंधित प्रविष्टियों का 1 मई, 2026 से लोप किया जाएगा;
- 52) क्रम सं. 119 के सामने, स्तम्भ (3) में, परंतुक में, अंक, अक्षर और शब्द “31 मार्च, 2026” के स्थान पर अंक, अक्षर और शब्द “31 मार्च, 2028” को प्रतिस्थापित किया जाएगा;
- 53) क्रम सं. 123 और उससे संबंधित प्रविष्टियों का लोप किया जाएगा;
- 54) क्रम सं. 126 और उससे संबंधित प्रविष्टियों का 1 मई, 2026 से लोप किया जाएगा;
- 55) क्रम सं. 128 और उससे संबंधित प्रविष्टियों का लोप किया जाएगा;
- 56) क्रम सं. 132 और उससे संबंधित प्रविष्टियों का लोप किया जाएगा;
- 57) क्रम सं. 134 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित क्रम सं. और प्रविष्टियां प्रतिस्थापित की जाएंगी, अर्थात् :-

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
“134.	2915, 2933, 3208, 3506, 3815, 3901, 3920	तालिका I से जुड़ी सूची 8 में निर्दिष्ट वस्तुएँ, जिनका उपयोग ईवीए (एथिलीन विनाइल एसीटेट), पीओई (पॉलीओलेफिन इलास्टोमर) या इनके संयोजन से बनी शीट/एंकैप्सुलेंट या बैकशीट के निर्माण में किया जाता है, जिनका उपयोग सोलर फोटोवोल्टिक सेल या मॉड्यूल के निर्माण में किया जाता है: परंतु इस क्रम सं. में दी गई कोई भी बात 31 मार्च, 2028 के बाद लागू नहीं होगी।	शून्य	-	3 और 15”;

- 58) क्रम सं. 135 और उससे संबंधित प्रविष्टियों का 1 मई, 2026 से लोप किया जाएगा;
- 59) क्रम सं. 137 और उससे संबंधित प्रविष्टियों का लोप किया जाएगा;
- 60) क्रम सं. 138 के सामने, स्तम्भ (3) में, परंतुक में, अंक, अक्षर और शब्द “31 मार्च, 2026” के स्थान पर अंक, अक्षर और शब्द “31 मार्च, 2028” को प्रतिस्थापित किया जाएगा;
- 61) क्रम सं. 139 और उससे संबंधित प्रविष्टियों का लोप किया जाएगा;
- 62) क्रम सं. 140 के सामने,
 (क) स्तम्भ (3) में, परंतुक में, अंक, अक्षर और शब्द “31 मार्च, 2026” के स्थान पर अंक, अक्षर और शब्द “31 मार्च, 2028” को प्रतिस्थापित किया जाएगा;
 (ख) स्तम्भ (6) में, प्रविष्टियों के लिए “3 और 88” को प्रतिस्थापित किया जाएगा;
- 63) क्रम सं. 141 के सामने, स्तम्भ (3) में, परंतुक में, अंक, अक्षर और शब्द “31 मार्च, 2026” के स्थान पर अंक, अक्षर और शब्द “31 मार्च, 2028” को प्रतिस्थापित किया जाएगा;
- 64) क्रम सं. 142 के सामने,
 (क) स्तम्भ (3) में, परंतुक में, अंक, अक्षर और शब्द “31 मार्च, 2026” के स्थान पर अंक, अक्षर और शब्द “31 मार्च, 2028” को प्रतिस्थापित किया जाएगा;
 (ख) स्तम्भ (6) में, प्रविष्टियों के लिए “3 और 88” को प्रतिस्थापित किया जाएगा;
- 65) क्रम सं. 143 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित क्रम सं. और प्रविष्टियां प्रतिस्थापित की जाएंगी, अर्थात् :-

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
“143.	39,48 या कोई अन्य अध्याय	तालिका I से जुड़ी सूची 11 में निर्दिष्ट वस्तुओं का आयात जब बोना फाइड एक्सपोर्टर द्वारा, चमड़े या सिंथेटिक फुटवियर, शू-अपर, या चमड़े के अन्य उत्पादों के निर्माण में इस्तेमाल के लिए, निर्यात हेतु, किया जाए; परंतु इस क्रम सं. में दी गई कोई भी बात 31 मार्च, 2028 के बाद लागू नहीं होगी।	शून्य	-	3 और 88”;

- 66) क्रम सं. 144 के सामने, स्तम्भ (3) में, परंतुक में, अंक, अक्षर और शब्द “31 मार्च, 2026” के स्थान पर अंक, अक्षर और शब्द “31 मार्च, 2028” को प्रतिस्थापित किया जाएगा;
- 67) क्रम सं. 145 और उससे संबंधित प्रविष्टियों का 1 अप्रैल, 2026 से लोप किया जाएगा;
- 68) क्रम सं. 146 के सामने, स्तम्भ (3) में, परंतुक में, अंक, अक्षर और शब्द “31 मार्च, 2026” के स्थान पर अंक, अक्षर और शब्द “31 मार्च, 2028” को प्रतिस्थापित किया जाएगा;
- 69) क्रम सं. 147 और उससे संबंधित प्रविष्टियों का 1 मई, 2026 से लोप किया जाएगा;
- 70) क्रम सं. 148 के सामने, स्तम्भ (3) में, परंतुक में, अंक, अक्षर और शब्द “31 मार्च, 2026” के स्थान पर अंक, अक्षर और शब्द “31 मार्च, 2028” को प्रतिस्थापित किया जाएगा;
- 71) क्रम सं. 150 के सामने, स्तम्भ (3) में, परंतुक में, अंक, अक्षर और शब्द “31 मार्च, 2026” के स्थान पर अंक, अक्षर और शब्द “31 मार्च, 2028” को प्रतिस्थापित किया जाएगा;
- 72) क्रम सं. 154 और उससे संबंधित प्रविष्टियों का 1 अप्रैल, 2026 से लोप किया जाएगा;

- [illegible]

- 95) क्रम सं. 201 और उससे संबंधित प्रविष्टियों का 1 अप्रैल, 2026 से लोप किया जाएगा;
- 96) क्रम सं. 204 और उससे संबंधित प्रविष्टियों का 1 मई, 2026 से लोप किया जाएगा;
- 97) क्रम सं. 205 के सामने, स्तम्भ (3) में, परंतुक में, अंक, अक्षर और शब्द “31 मार्च, 2026” के स्थान पर अंक, अक्षर और शब्द “31 मार्च, 2028” को प्रतिस्थापित किया जाएगा;
- 98) क्रम सं. 208 के सामने, स्तम्भ (3) में, परंतुक में, अंक, अक्षर और शब्द “31 मार्च, 2026” के स्थान पर अंक, अक्षर और शब्द “31 मार्च, 2028” को प्रतिस्थापित किया जाएगा;
- 99) क्रम सं. 209 के सामने, स्तम्भ (3) में, परंतुक में, अंक, अक्षर और शब्द “31 मार्च, 2026” के स्थान पर अंक, अक्षर और शब्द “31 मार्च, 2028” को प्रतिस्थापित किया जाएगा;
- 100) क्रम सं. 213 और उससे संबंधित प्रविष्टियों का लोप किया जाएगा;
- 101) क्रम सं. 214 के सामने, स्तम्भ (3) में, मद (i) के समक्ष, प्रविष्टियों “210, 212 और 213” के लिए, प्रविष्टियों “210 और 212” को प्रतिस्थापित किया जाएगा;
- 102) क्रम सं. 217 और उससे संबंधित प्रविष्टियों का लोप किया जाएगा;
- 103) क्रम सं. 218 और उससे संबंधित प्रविष्टियों का 1 अप्रैल, 2026 से लोप किया जाएगा;
- 104) क्रम सं. 219 और उससे संबंधित प्रविष्टियों का 1 अप्रैल, 2026 से लोप किया जाएगा;
- 105) क्रम सं. 220 और उससे संबंधित प्रविष्टियों का लोप किया जाएगा;
- 106) क्रम सं. 221 और उससे संबंधित प्रविष्टियों का 1 मई, 2026 से लोप किया जाएगा;
- 107) क्रम सं. 222 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित क्रम सं. और प्रविष्टियां प्रतिस्थापित की जाएंगी, अर्थात् :-

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
“222.	7407, 7408	रिफाइंड कॉपर का कॉपर वायर जिसका अधिकतम क्रॉस-सेक्शनल डाइमेंशन 6 मीमी से ज्यादा हो, या रिफाइंड कॉपर की कॉपर रॉड, जिसका इस्तेमाल फोटोवोल्टिक रिबन या टिन्ड कॉपर इंटरकनेक्ट या सेल इंटरकनेक्ट या स्ट्रिंग इंटरकनेक्ट या फोटोवोल्टिक कनेक्ट या फोटोवोल्टिक रिबन या सोलर रिबन बनाने के लिए किया जाता है, सोलर फोटोवोल्टिक सेल या मॉड्यूल बनाने के लिए: परंतु इस क्रम सं. में दी गई कोई भी बात 31 मार्च, 2028 के बाद लागू नहीं होगी।	शून्य	-	3 ”;

- 108) क्रम सं. 223 और उससे संबंधित प्रविष्टियों का 1 मई, 2026 से लोप किया जाएगा;
- 109) क्रम सं. 224 और उससे संबंधित प्रविष्टियों का 1 मई, 2026 से लोप किया जाएगा;
- 110) क्रम सं. 225 और उससे संबंधित प्रविष्टियों का 1 मई, 2026 से लोप किया जाएगा;
- 111) क्रम सं. 226 और उससे संबंधित प्रविष्टियों का 1 मई, 2026 से लोप किया जाएगा;
- 112) क्रम सं. 226 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात्, निम्नलिखित क्रम सं. और प्रविष्टियां अन्तःस्थापित की जाएंगी, अर्थात्-

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
"226क.	8112 92 00	अप्रसंस्कृत; अपशिष्ट और स्कैप; पाउडर, निम्नलिखित के:- (i) गैलियम (ii) जर्मेनियम (iii) इंडियम (iv) नायोबियम (v) वैनेडियम	शून्य	-	-";

- 113) क्रम सं. 227 के सामने, स्तम्भ (3) में, परंतुक में, अंक, अक्षर और शब्द "31 मार्च, 2026" के स्थान पर अंक, अक्षर और शब्द "31 मार्च, 2028" को प्रतिस्थापित किया जाएगा;
- 114) क्रम सं. 227 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात्, निम्नलिखित क्रम सं. और प्रविष्टियां अन्तःस्थापित की जाएंगी, अर्थात् :-

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
"227क	8401 30 00	सभी वस्तुएँ, परमाणु ऊर्जा उत्पादन के लिए	शून्य	-	-
227ख	8401 40 00	परमाणु ऊर्जा उत्पादन के लिए, निम्नलिखित वस्तुएँ, अर्थात् :- (i) कन्ट्रोल और प्रोटेक्शन अब्सॉर्बर रॉड्स; (ii) बर्नेबल अबज़ोरबर रॉड्स	शून्य	-	-";

- (115) क्रम सं. 228 के सामने, स्तम्भ (3) में, परंतुक में, अंक, अक्षर और शब्द "31 मार्च, 2026" के स्थान पर अंक, अक्षर और शब्द "31 मार्च, 2028" को प्रतिस्थापित किया जाएगा;
- (116) क्रम सं. 229 के सामने, स्तम्भ (3) में, परंतुक में, अंक, अक्षर और शब्द "31 मार्च, 2026" के स्थान पर अंक, अक्षर और शब्द "31 मार्च, 2028" को प्रतिस्थापित किया जाएगा;
- (117) क्रम सं. 230 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित क्रम सं. और प्रविष्टियां प्रतिस्थापित की जाएंगी, अर्थात् :-

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
"230	84 या कोई अन्य अध्याय	निम्नलिखित वस्तुएँ, अर्थात् :- (1) पवन ऊर्जा संचालित विद्युत जनरेटर घटकों के विनिर्माण या रखरखाव के लिए भाग और उप-भाग, अर्थात्:- (i) विशेष बीयरिंग, (ii) गियर बॉक्स, (iii) यॉ घटक, (iv) पवन टरबाइन नियंत्रक	5%	-	29

	(2) पवन चालित विद्युत जनरेटरों के रोटार के ब्लेडों के निर्माण या रखरखाव हेतु पुर्जे	5%	-	29
	(3) पवन संचालित विद्युत जनरेटर ब्लेड के बाल्सा लकड़ी, कार्बन फाइबर	5%	-	29
	(4) पवन संचालित विद्युत जनरेटर में उपयोग के लिए विशेष बीयरिंग के निर्माण के लिए फोर्ज्ड स्टील रिंग्स जो टैरीफ मद 7326 90 99 के अंतर्गत आता है परंतु इस क्रम सं. में दी गई कोई भी बात 31 मार्च, 2028 के बाद लागू नहीं होगी।	5%	-	3 और 25";

- (118) क्रम सं. 231 और उससे संबंधित प्रविष्टियों का 1 अप्रैल, 2026 से लोप किया जाएगा;
- (119) क्रम सं. 232 के सामने, स्तम्भ (3) में, परंतुक में, अंक, अक्षर और शब्द "31 मार्च, 2026" के स्थान पर अंक, अक्षर और शब्द "31 मार्च, 2028" को प्रतिस्थापित किया जाएगा;
- (120) क्रम सं. 233 के सामने, स्तम्भ (3) में, परंतुक में, अंक, अक्षर और शब्द "31 मार्च, 2026" के स्थान पर अंक, अक्षर और शब्द "31 मार्च, 2028" को प्रतिस्थापित किया जाएगा;
- (121) क्रम सं. 234 के सामने, स्तम्भ (3) में, परंतुक में, अंक, अक्षर और शब्द "31 मार्च, 2026" के स्थान पर अंक, अक्षर और शब्द "31 मार्च, 2028" को प्रतिस्थापित किया जाएगा;
- (122) क्रम सं. 235 के सामने, स्तम्भ (3) में, परंतुक में, अंक, अक्षर और शब्द "31 मार्च, 2026" के स्थान पर अंक, अक्षर और शब्द "31 मार्च, 2028" को प्रतिस्थापित किया जाएगा;
- (123) क्रम सं. 236 और उससे संबंधित प्रविष्टियों का 1 अप्रैल, 2026 से लोप किया जाएगा;
- (124) क्रम सं. 237 के सामने, स्तम्भ (3) में, परंतुक में, अंक, अक्षर और शब्द "31 मार्च, 2026" के स्थान पर अंक, अक्षर और शब्द "31 मार्च, 2028" को प्रतिस्थापित किया जाएगा;
- (125) क्रम सं. 238 के सामने, स्तम्भ (3) में, परंतुक में, अंक, अक्षर और शब्द "31 मार्च, 2026" के स्थान पर अंक, अक्षर और शब्द "31 मार्च, 2028" को प्रतिस्थापित किया जाएगा;
- (126) क्रम सं. 239 के सामने, स्तम्भ (3) में, परंतुक में, अंक, अक्षर और शब्द "31 मार्च, 2026" के स्थान पर अंक, अक्षर और शब्द "31 मार्च, 2028" को प्रतिस्थापित किया जाएगा;
- (127) क्रम सं. 243 और उससे संबंधित प्रविष्टियों का 1 अप्रैल, 2026 से लोप किया जाएगा;
- (128) क्रम सं. 246 के सामने, स्तम्भ (3) में, परंतुक में, अंक, अक्षर और शब्द "31 मार्च, 2026" के स्थान पर अंक, अक्षर और शब्द "31 मार्च, 2028" को प्रतिस्थापित किया जाएगा;
- (129) क्रम सं. 247 के सामने, स्तम्भ (3) में, परंतुक में, अंक, अक्षर और शब्द "31 मार्च, 2026" के स्थान पर अंक, अक्षर और शब्द "31 मार्च, 2028" को प्रतिस्थापित किया जाएगा;
- (130) क्रम सं. 255 और उससे संबंधित प्रविष्टियों का 1 मई, 2026 से लोप किया जाएगा;
- (131) क्रम सं. 256 के सामने, स्तम्भ (3) में, परंतुक में, अंक, अक्षर और शब्द "31 मार्च, 2026" के स्थान पर अंक, अक्षर और शब्द "31 मार्च, 2028" को प्रतिस्थापित किया जाएगा;
- (132) क्रम सं. 257 और उससे संबंधित प्रविष्टियों का 1 मई, 2026 से लोप किया जाएगा;
- (133) क्रम सं. 258 और उससे संबंधित प्रविष्टियों का लोप किया जाएगा;

- (134) क्रम सं. 259 और उससे संबंधित प्रविष्टियों का 1 मई, 2026 से लोप किया जाएगा;
- (135) क्रम सं. 267 के सामने, स्तम्भ (3) में, परंतुक में, अंक, अक्षर और शब्द “31 मार्च, 2026” के स्थान पर अंक, अक्षर और शब्द “31 मार्च, 2028” को प्रतिस्थापित किया जाएगा;
- (136) क्रम सं. 268 के सामने, स्तम्भ (3) में, परंतुक में, अंक, अक्षर और शब्द “31 मार्च, 2026” के स्थान पर अंक, अक्षर और शब्द “31 मार्च, 2028” को प्रतिस्थापित किया जाएगा;
- (137) क्रम सं. 269 के सामने, स्तम्भ (3) में, परंतुक में, अंक, अक्षर और शब्द “31 मार्च, 2026” के स्थान पर अंक, अक्षर और शब्द “31 मार्च, 2028” को प्रतिस्थापित किया जाएगा;
- (138) क्रम सं. 270 के सामने, स्तम्भ (3) में, परंतुक में, अंक, अक्षर और शब्द “31 मार्च, 2026” के स्थान पर अंक, अक्षर और शब्द “31 मार्च, 2028” को प्रतिस्थापित किया जाएगा;
- (139) क्रम सं. 271 और उससे संबंधित प्रविष्टियों का 1 अप्रैल, 2026 से लोप किया जाएगा;
- (140) क्रम सं. 272 के सामने, स्तम्भ (3) में, परंतुक में, अंक, अक्षर और शब्द “31 मार्च, 2026” के स्थान पर अंक, अक्षर और शब्द “31 मार्च, 2028” को प्रतिस्थापित किया जाएगा;
- (141) क्रम सं. 273 के सामने, स्तम्भ (3) में, परंतुक में, अंक, अक्षर और शब्द “31 मार्च, 2026” के स्थान पर अंक, अक्षर और शब्द “31 मार्च, 2028” को प्रतिस्थापित किया जाएगा;
- (142) क्रम सं. 274 के सामने, स्तम्भ (3) में, परंतुक में, अंक, अक्षर और शब्द “31 मार्च, 2026” के स्थान पर अंक, अक्षर और शब्द “31 मार्च, 2028” को प्रतिस्थापित किया जाएगा;
- (143) क्रम सं. 275 और उससे संबंधित प्रविष्टियों का 1 अप्रैल, 2026 से लोप किया जाएगा;
- (144) क्रम सं. 276 और उससे संबंधित प्रविष्टियों का 1 अप्रैल, 2026 से लोप किया जाएगा;
- (145) क्रम सं. 277 के सामने, स्तम्भ (3) में, परंतुक में, अंक, अक्षर और शब्द “31 मार्च, 2026” के स्थान पर अंक, अक्षर और शब्द “31 मार्च, 2028” को प्रतिस्थापित किया जाएगा;
- (146) क्रम सं. 278 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात्, निम्नलिखित क्रम सं. और प्रविष्टियां अन्तःस्थापित की जाएंगी, अर्थात् :-

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
“278क	8501 10 20, 8504 31 00, 8516 80 00, 8516 90 00	माइक्रोवेव ओवन, जो टैरिफ मद 8516 50 00 के अंतर्गत आता है, के निर्माण में उपयोग के लिए निम्नलिखित वस्तुएँ, अर्थात् :- (i) ए.सी. सिंक्रोनस मोटर या ए.सी. फैन मोटर (8501 10 20) (ii) ट्रांसफार्मर (8504 31 00) (iii) इलेक्ट्रिक हीटिंग रेसिस्टर (8516 80 00) (iv) अन्य पुर्जे (8516 90 00) परंतु इस क्रम सं. में दी गई कोई भी बात 31 मार्च, 2028 के बाद लागू नहीं होगी।	शून्य	-	3”;

- (147) क्रम सं. 280 के सामने, स्तम्भ (3) में, परंतुक में, अंक, अक्षर और शब्द “31 मार्च, 2026” के स्थान पर अंक, अक्षर और शब्द “31 मार्च, 2028” को प्रतिस्थापित किया जाएगा;

- [illegible]

- (170) क्रम सं. 334 के सामने, स्तम्भ (3) में, परंतुक में, अंक, अक्षर और शब्द “31 मार्च, 2026” के स्थान पर अंक, अक्षर और शब्द “31 मार्च, 2028” को प्रतिस्थापित किया जाएगा;
- (171) क्रम सं. 334 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात्, निम्नलिखित क्रम सं. और प्रविष्टियां अन्तःस्थापित की जाएंगी, अर्थात् :-

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
“334क	कोई भी अध्याय	विमान के रखरखाव, मरम्मत या ओवरहालिंग के लिए विमान के पुर्जों के निर्माण के लिए कच्चे माल: (i) शीर्ष 8802 के अंतर्गत आने वाले विमान; या (ii) शीर्ष 8802 के अंतर्गत आने वाले विमानों के पुर्जे या घटक, जिनमें इंजन भी शामिल हैं: परंतु इन वस्तुओं का आयात रक्षा मंत्रालय के अधीन पब्लिक सेक्टर अन्डर्टैकिंग द्वारा किया गया हो: परंतु इस क्रम सं. में दी गई कोई भी बात 31 मार्च, 2028 के बाद लागू नहीं होगी।	शून्य	-	3 और 89”;

- (172) क्रम सं. 335 के सामने, स्तम्भ (3) में, परंतुक में, अंक, अक्षर और शब्द “31 मार्च, 2026” के स्थान पर अंक, अक्षर और शब्द “31 मार्च, 2028” को प्रतिस्थापित किया जाएगा;
- (173) क्रम सं. 335 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात्, निम्नलिखित क्रम सं. और प्रविष्टियां अन्तःस्थापित की जाएंगी, अर्थात् :-

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
“335क	कोई भी अध्याय	शीर्ष 8802 के विमानों के पुर्जे या घटक, जिनमें इंजन भी शामिल हैं- (i) शीर्ष 8802 के अंतर्गत आने वाले विमानों के निर्माण के लिए; (ii) मद (i) में उल्लिखित विमानों के पुर्जों के निर्माण के लिए; परंतु इस क्रम सं. में निहित कोई भी बात इस अधिसूचना की तालिका I के क्रमांक 335 के अंतर्गत आने वाली वस्तुओं पर लागू नहीं होगी: परंतु इस क्रम सं. में दी गई कोई भी बात 31 मार्च, 2028 के बाद लागू नहीं होगी।	शून्य	-	3”;

- [illegible]

- (195) क्रम सं. 387 के सामने, स्तम्भ (3) में, परंतुक में, अंक, अक्षर और शब्द “31 मार्च, 2026” के स्थान पर अंक, अक्षर और शब्द “31 मार्च, 2028” को प्रतिस्थापित किया जाएगा;
- (196) क्रम सं. 388 के सामने, स्तम्भ (3) में, परंतुक में, अंक, अक्षर और शब्द “31 मार्च, 2026” के स्थान पर अंक, अक्षर और शब्द “31 मार्च, 2028” को प्रतिस्थापित किया जाएगा;
- (197) क्रम सं. 392 के सामने, स्तम्भ (3) में, परंतुक में, अंक, अक्षर और शब्द “31 मार्च, 2026” के स्थान पर अंक, अक्षर और शब्द “31 मार्च, 2028” को प्रतिस्थापित किया जाएगा;
- (198) क्रम सं. 396 के सामने, स्तम्भ (3) में, परंतुक में, अंक, अक्षर और शब्द “31 मार्च, 2026” के स्थान पर अंक, अक्षर और शब्द “31 मार्च, 2028” को प्रतिस्थापित किया जाएगा;
- (199) क्रम सं. 397 और उससे संबंधित प्रविष्टियों का 1 अप्रैल, 2026 से लोप किया जाएगा;
- (200) क्रम सं. 415 के सामने, स्तम्भ (3) में, परंतुक में, अंक, अक्षर और शब्द “31 मार्च, 2026” के स्थान पर अंक, अक्षर और शब्द “31 मार्च, 2028” को प्रतिस्थापित किया जाएगा;
- (201) क्रम सं. 440 के सामने, स्तम्भ (3) में, परंतुक में, अंक, अक्षर और शब्द “31 मार्च, 2026” के स्थान पर अंक, अक्षर और शब्द “31 मार्च, 2028” को प्रतिस्थापित किया जाएगा;

II. तालिका I के अनुलग्नक में,-

- क. शर्त कॉलम में शर्त संख्या 5 के अंतर्गत, खंड (ii) में, प्रविष्टि “1%” के स्थान पर प्रविष्टि “3%” प्रतिस्थापित किया जाएगा;
- ख. शर्त संख्या 87, के पश्चात्, निम्नलिखित शर्तें अन्तःस्थापित की जाएंगी, अर्थात्:-

शर्त संख्या	शर्त
“88.	यदि आयातित वस्तुओं का इस्तेमाल करके बनाए गए सामान को आयातक, उन आयातित वस्तुओं के आयात की तारीख से बारह महीने के अंदर निर्यात कर देता है।
89	यदि ऐसा कोई अधिकारी जो भारत सरकार के रक्षा मंत्रालय में संयुक्त सचिव से कम पद का न हो, - (i) आयातित वस्तुओं की मात्रा, विवरण तथा तकनीकी विनिर्देशों को प्रमाणित करता है; (ii) प्रमाणित करता है कि उक्त सामान रक्षा बल के निम्नलिखित सामानों के रखरखाव, मरम्मत या ओवरहॉलिंग के लिए विमान के पुर्जों के विनिर्माण के लिए है, अर्थात्: - (क) शीर्ष 8802 के अंतर्गत आने वाले विमानों के निर्माण के लिए; या (ख) शीर्ष 8802 के विमानों के पुर्जे या घटक, जिनमें इंजन भी शामिल हैं; और (iii) आयातित वस्तुओं को छूट देने की सिफारिश करता है।”;

III. तालिका I से जुड़ी सूचियों में:

- क. सूची 3 में, क्रम सं. 112 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात्, निम्नलिखित क्रम सं. और प्रविष्टियां अन्तःस्थापित की जाएंगी, अर्थात् :-
- “113. राईबोसिक्लिब
114. एबेमासिक्लिब
115. टैलिकैबटाजीन ऑटोल्यूसेल
116. ट्रेमेलिमुमैब

117. वेनेटोक्लैक्स
118. सेरिटिनिब
119. ब्रिगाटिनिब
120. डारोलुटामाइड
121. टोरिपालिमैब
122. सरप्लुलिमैब
123. टिस्लेलिजुमैब
124. इनोटुजुमैब ओज़ोगामाइसिन
125. पोनेटिनिब
126. इब्रुटिनिब
127. डान्राफेनिब
128. ट्रामेटिनिब
129. इपिलिमुमैब”;

ख. सूची 22 में, क्रम सं. 51 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात्, निम्नलिखित क्रम सं. और प्रविष्टियां अन्तःस्थापित की जाएंगी, अर्थात् :-

- “52. कोनजेनितल हाइपरइंसुलिनेमिक हाइपोग्लाइसीमिया (सीएचआई)
53. फमिलियल होमोज़ाइगस हाइपरकोलेस्ट्रॉलेमिया
54. अल्फ़ा मैनोसिडोसिस
55. प्राइमरी हाइपरऑक्साल्यूरिया
56. साईस्टिनोसिस
57. हेरीडिटरी एंजियोएडेमा
58. प्राइमरी इम्यूनो डिफिशियन्सी डिसॉर्डर”;

IV. तालिका II में, -

- क. क्रम सं. 1 के सामने, स्तम्भ (3) में, परंतुक में, अंक, अक्षर और शब्द “31 मार्च, 2026” के स्थान पर अंक, अक्षर और शब्द “31 मार्च, 2028” को प्रतिस्थापित किया जाएगा;
- ख. क्रम सं. 2 के सामने, स्तम्भ (3) में, परंतुक में, अंक, अक्षर और शब्द “31 मार्च, 2026” के स्थान पर अंक, अक्षर और शब्द “31 मार्च, 2028” को प्रतिस्थापित किया जाएगा;
- ग. क्रम सं. 66 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित क्रम सं. और प्रविष्टियां अन्तःस्थापित की जाएंगी, अर्थात् :-

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
“66	9801	तालिका II में संलग्न सूची 2 में निर्दिष्ट किसी भी परमाणु ऊर्जा परियोजना की स्थापना हेतु आवश्यक वस्तुएँ, जिन्हें परमाणु ऊर्जा विभाग में भारत सरकार का ऐसा कोई अधिकारी प्रमाणित करे जो संयुक्त सचिव से कम पद का न हो: परंतु कि इस क्रम सं. में दी गई कोई भी	शून्य	-	20 और 34”;

		बात 30 सितंबर, 2035 के बाद लागू नहीं होगी।			
--	--	--	--	--	--

V. तालिका II के अनुलग्नक में, शर्त संख्या 33, के पश्चात्, निम्नलिखित शर्त अन्तःस्थापित की जाएंगी, अर्थात्:-

शर्त संख्या	शर्त
“34	यदि माल का आयात परियोजना आयात विनियम, 1986 के अनुपालन में संबंधित कस्टम हाउस के साथ 30 सितंबर, 2035 को या उससे पहले पंजीकृत अनुबंधों के तहत किया गया हो। ”;

VI. तालिका II से जुड़ी सूचियों में:

क. सूची 2 में, क्रम सं. 13 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात्, निम्नलिखित क्रम सं. और प्रविष्टियां अन्तःस्थापित की जाएंगी, अर्थात्:

“14	परियोजना आयात विनियम, 1986 के अनुपालन में परमाणु ऊर्जा विभाग द्वारा प्रायोजित कोई अन्य परमाणु ऊर्जा परियोजना। ”;
-----	--

VII. तालिका IV में, क्रम सं. 1 और उससे संबंधित प्रविष्टियों का 1 अप्रैल, 2026 से लोप किया जाएगा;

2. जहाँ अन्यथा उपबंधित न हो, यह अधिसूचना 2 फरवरी, 2026 से प्रवृत्त होगी।

[फा. सं. 334/04/2026-टीआरयू]

धीरज शर्मा, अवर सचिव

टिप्पणी: - मूल अधिसूचना संख्या 45/2025-सीमा शुल्क, दिनांक 24 अक्टूबर, 2025 को सा.का.नि. संख्या 781(अ), दिनांक 24 अक्टूबर, 2025 के तहत भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उप-खंड (i) में प्रकाशित किया गया था और इसमें अंतिम बार अधिसूचना संख्या 48/2025-सीमा शुल्क, दिनांक 14 नवंबर, 2025 द्वारा संशोधित किया गया था, जिसे भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उप-खंड (i) में, क्रमांक सा.का.नि. संख्या 847 (अ), दिनांक 14 नवंबर, 2025 को प्रकाशित किया गया।

NOTIFICATION

New Delhi, the 1st February, 2026

No. 02/2026-Customs

G.S.R. 83(E).— In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 25 of the Customs Act, 1962 (52 of 1962) and sub-section (12) of section 3 of the Customs Tariff Act, 1975 (51 of 1975), the Central Government, on being satisfied that it is necessary in the public interest so to do, hereby makes the following further amendments in the notification of the Government of India, Ministry of Finance (Department of Revenue), No. 45/2025-Customs, dated the 24th October, 2025, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i), *vide* number G.S.R. 781(E), dated the 24th October, 2025, namely: —

In the said notification, -

I. in TABLE I, -

- (1) S. No. 1 and the entries relating thereto shall be omitted;
- (2) S. No. 4 and the entries relating thereto shall be omitted with effect from the 1st day of May, 2026;
- (3) against S. No. 5, in column (3), the following proviso shall be inserted at the end, namely:—"Provided that nothing contained in this S.No. shall have effect after the 31st March, 2028";
- (4) S. No. 7 and the entries relating thereto shall be omitted with effect from the 1st day of May, 2026;
- (5) S. No. 10 and the entries relating thereto shall be omitted with effect from the 1st day of May, 2026;
- (6) against S. No. 12, in column (6), for the entries, the entries "3 and 88" shall be substituted;
- (7) S. No. 13 and the entries relating thereto shall be omitted with effect from the 1st day of May, 2026;
- (8) against S. No. 14, in column (3), in the proviso, for the figures, letters and word "31st March, 2026", the figures, letters and word "31st March, 2028" shall be substituted;
- (9) S. No. 24 and the entries relating thereto shall be omitted with effect from the 1st day of May, 2026;
- (10) S. No. 25 and the entries relating thereto shall be omitted with effect from the 1st day of May, 2026;
- (11) S. No. 26 and the entries relating thereto shall be omitted with effect from the 1st day of May, 2026;
- (12) S. No. 27 and the entries relating thereto shall be omitted with effect from the 1st day of May, 2026;
- (13) S. No. 30 and the entries relating thereto shall be omitted with effect from the 1st day of May, 2026;
- (14) S. No. 31 and the entries relating thereto shall be omitted with effect from the 1st day of May, 2026;
- (15) S. No. 32 and the entries relating thereto shall be omitted with effect from the 1st day of May, 2026;
- (16) S. No. 33 and the entries relating thereto shall be omitted with effect from the 1st day of May, 2026;
- (17) S. No. 34 and the entries relating thereto shall be omitted with effect from the 1st day of May, 2026;
- (18) S. No. 40 and the entries relating thereto shall be omitted with effect from the 1st day of May, 2026;
- (19) against S. No. 58, in column (3), in the proviso, for the figures, letters and word "31st March, 2026", the figures, letters and word "31st March, 2028" shall be substituted;
- (20) against S. No. 61, in column (3), in the proviso, for the figures, letters and word "31st March, 2026", the figures, letters and word "31st March, 2028" shall be substituted;
- (21) S. No. 62 and the entries relating thereto shall be omitted with effect from the 1st day of May, 2026;
- (22) S. No. 63 and the entries relating thereto shall be omitted with effect from the 1st day of May, 2026;
- (23) S. No. 64 and the entries relating thereto shall be omitted with effect from the 1st day of May, 2026;
- (24) S. No. 65 and the entries relating thereto shall be omitted with effect from the 1st day of May, 2026;
- (25) S. No. 67 and the entries relating thereto shall be omitted with effect from the 1st day of May, 2026;
- (26) S. No. 68 and the entries relating thereto shall be omitted with effect from the 1st day of May, 2026;
- (27) against S. No. 69, in column (3), in the proviso, for the figures, letters and word "31st March, 2026", the figures, letters and word "31st March, 2028" shall be substituted;
- (28) S. No. 76 and the entries relating thereto shall be omitted with effect from the 1st day of May, 2026;
- (29) S. No. 83 and the entries relating thereto shall be omitted with effect from the 1st day of May, 2026;
- (30) against S. No. 84, in column (3), in the proviso, for the figures, letters and word "31st March, 2026", the figures, letters and word "31st March, 2028" shall be substituted;
- (31) after S. No. 84 and the entries relating thereto, the following S. No. and entries shall be inserted, namely: -

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
"84A.	2612 20 00	Monazite	Nil	-	-";

- (32) against S. No. 85, in column (3), in the proviso, for the figures, letters and word "31st March, 2026", the figures, letters and word "31st March, 2028" shall be substituted;

- (33) S. No. 86 and the entries relating thereto shall be omitted with effect from the 1st day of May, 2026;
- (34) S. No. 87 and the entries relating thereto shall be omitted with effect from the 1st day of May, 2026;
- (35) S. No. 93 and the entries relating thereto shall be omitted with effect from the 1st day of April, 2026;
- (36) S. No. 95 and the entries relating thereto shall be omitted with effect from the 1st day of April, 2026;
- (37) against S. No. 98, in column (3), in the proviso, for the figures, letters and word “31st March, 2026”, the figures, letters and word “31st March, 2028” shall be substituted;
- (38) against S. No. 99, in column (3), in the proviso, for the figures, letters and word “31st March, 2026”, the figures, letters and word “31st March, 2028” shall be substituted;
- (39) S. No. 107 and the entries relating thereto shall be omitted with effect from the 1st day of April, 2026;
- (40) S. No. 109 and the entries relating thereto shall be omitted with effect from the 1st day of May, 2026;
- (41) S. No. 110 and the entries relating thereto shall be omitted with effect from the 1st day of May, 2026;
- (42) after S. No. 110 and the entries relating thereto, the following S. Nos. and entries shall be inserted, namely:-

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
“110A.	2841 90 00	Sodium antimonate for use in manufacture of solar glass Provided that nothing contained in this S. No. shall have effect after the 31 st March, 2028.	Nil	-	3
110B.	2841 90 00	Salts of oxometallic or peroxometallic acids of Beryllium and Rhenium	Nil	-	-”;

- (43) against S. No. 111, in column (3), in the proviso, for the figures, letters and word “31st March, 2026”, the figures, letters and word “31st March, 2028” shall be substituted;
- (44) after S. No. 111 and the entries relating thereto, the following S. No. and entries shall be inserted, namely:-

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
“111A.	2846	Compounds, inorganic or organic of rare earth metals	Nil	-	-”;

- (45) against S. No. 112, in column (3), in the proviso, for the figures, letters and word “31st March, 2026”, the figures, letters and word “31st March, 2028” shall be substituted;
- (46) S. No. 113 and the entries relating thereto shall be omitted;
- (47) against S. No. 114, in column (3), in the proviso, for the figures, letters and word “31st March, 2026”, the figures, letters and word “31st March, 2028” shall be substituted;
- (48) S. No. 115 and the entries relating thereto shall be omitted with effect from the 1st day of May, 2026;
- (49) S. No. 116 and the entries relating thereto shall be omitted with effect from the 1st day of May, 2026;
- (50) S. No. 117 and the entries relating thereto shall be omitted with effect from the 1st day of April, 2026;
- (51) S. No. 118 and the entries relating thereto shall be omitted with effect from the 1st day of May, 2026;
- (52) against S. No. 119, in column (3), in the proviso, for the figures, letters and word “31st March, 2026”, the figures, letters and word “31st March, 2028” shall be substituted;
- (53) S. No. 123 and the entries relating thereto shall be omitted;
- (54) S. No. 126 and the entries relating thereto shall be omitted with effect from the 1st day of May, 2026;
- (55) S. No. 128 and the entries relating thereto shall be omitted;
- (56) S. No. 132 and the entries relating thereto shall be omitted;
- (57) for S. No. 134 and the entries relating thereto, the following S. No. and entries shall be substituted, namely:-

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
“134.	2915, 2933, 3208, 3506, 3815, 3901, 3920	Goods specified in List 8 appended to TABLE I for use in the manufacture of sheets/ encapsulants of EVA (Ethylene Vinyl Acetate), PoE (Polyolefin Elastomer) or combinations thereof or backsheet, which are used in the manufacture of solar photovoltaic cells or modules Provided that nothing contained in this S. No. shall have effect after the 31 st March, 2028.	Nil	-	3 and 15”;

- (58) S. No. 135 and the entries relating thereto shall be omitted with effect from the 1st day of May, 2026;
- (59) S. No. 137 and the entries relating thereto shall be omitted;
- (60) against S. No. 138, in column (3), in the proviso, for the figures, letters and word “31st March, 2026”, the figures, letters and word “31st March, 2028” shall be substituted;
- (61) S. No. 139 and the entries relating thereto shall be omitted;
- (62) against S. No. 140,-
 (a) in column (3), in the proviso, for the figures, letters and word “31st March, 2026”, the figures, letters and word “31st March, 2028” shall be substituted;
 (b) in column (6), for the entries, the entries “3 and 88” shall be substituted;
- (63) against S. No. 141, in column (3), in the proviso, for the figures, letters and word “31st March, 2026”, the figures, letters and word “31st March, 2028” shall be substituted;
- (64) against S. No. 142,-
 (a) in column (3), in the proviso, for the figures, letters and word “31st March, 2026”, the figures, letters and word “31st March, 2028” shall be substituted;
 (b) in column (6), for the entries, the entries “3 and 88” shall be substituted;
- (65) for S. No. 143 and the entries relating thereto, the following S.No. and entries shall be substituted, namely:-

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
“143.	39, 48 or any other Chapter	The goods specified in List 11 appended to TABLE I, when imported by bona fide exporters, for use in the manufacture of leather or synthetic footwear, shoe-uppers, or other leather products, for export: Provided that nothing contained in this S.No. shall have effect after the 31 st March, 2028	Nil	-	3 and 88”;

- (66) against S. No. 144, in column (3), in the proviso, for the figures, letters and word “31st March, 2026”, the figures, letters and word “31st March, 2028” shall be substituted;
- (67) S. No. 145 and the entries relating thereto shall be omitted with effect from the 1st day of April, 2026;
- (68) against S. No. 146, in column (3), in the proviso, for the figures, letters and word “31st March, 2026”, the figures, letters and word “31st March, 2028” shall be substituted;
- (69) S. No. 147 and the entries relating thereto shall be omitted with effect from the 1st day of May, 2026;
- (70) against S. No. 148, in column (3), in the proviso, for the figures, letters and word “31st March, 2026”, the figures, letters and word “31st March, 2028” shall be substituted;
- (71) against S. No. 150, in column (3), in the proviso, for the figures, letters and word “31st March, 2026”, the figures, letters and word “31st March, 2028” shall be substituted;
- (72) S. No. 154 and the entries relating thereto shall be omitted with effect from the 1st day of April, 2026;
- (73) against S. No. 155, in column (3), in the proviso, for the figures, letters and word “31st March, 2026”, the figures, letters and word “31st March, 2028” shall be substituted;
- (74) against S. No. 156, in column (3), in the proviso, for the figures, letters and word “31st March, 2026”, the figures, letters and word “31st March, 2028” shall be substituted;
- (75) S. No. 157 and the entries relating thereto shall be omitted;
- (76) S. No. 159 and the entries relating thereto shall be omitted with effect from the 1st day of May, 2026;
- (77) against S. No. 160, in column (3), in the proviso, for the figures, letters and word “31st March, 2026”, the figures, letters and word “31st March, 2028” shall be substituted;
- (78) S. No. 161 and the entries relating thereto shall be omitted with effect from the 1st day of May, 2026;
- (79) against S. No. 162, in column (3), in the proviso, for the figures, letters and word “31st March, 2026”, the figures, letters and word “31st March, 2028” shall be substituted;
- (80) against S. No. 163, in column (3), in the proviso, for the figures, letters and word “31st March, 2026”, the figures, letters and word “31st March, 2028” shall be substituted;
- (81) against S. No. 164, in column (3), in the proviso, for the figures, letters and word “31st March, 2026”, the figures, letters and word “31st March, 2028” shall be substituted;
- (82) S. No. 165 and the entries relating thereto shall be omitted with effect from the 1st day of May, 2026;
- (83) S. No. 169 and the entries relating thereto shall be omitted with effect from the 1st day of May, 2026;

- (84) S. No. 171 and the entries relating thereto shall be omitted with effect from the 1st day of May, 2026;
- (85) S. No. 172 and the entries relating thereto shall be omitted with effect from the 1st day of April, 2026;
- (86) against S. No. 173, in column (3), in the proviso, for the figures, letters and word “31st March, 2026”, the figures, letters and word “31st March, 2028” shall be substituted;
- (87) against S. No. 174, in column (3), in the proviso, for the figures, letters and word “31st March, 2026”, the figures, letters and word “31st March, 2028” shall be substituted;
- (88) against S. No. 175, in column (3), in the proviso, for the figures, letters and word “31st March, 2026”, the figures, letters and word “31st March, 2028” shall be substituted;
- (89) against S. No. 184, in column (3), in the proviso, for the figures, letters and word “31st March, 2026”, the figures, letters and word “31st March, 2028” shall be substituted;
- (90) against S. No. 185, in column (3), in the proviso, for the figures, letters and word “31st March, 2026”, the figures, letters and word “31st March, 2028” shall be substituted;
- (91) against S. No. 192, in column (3), the following proviso shall be inserted at the end, namely: -
“Provided that nothing contained in this S.No. shall have effect after the 31st March, 2027”;
- (92) against S. No. 193, in column (3), the following proviso shall be inserted at the end, namely: -
“Provided that nothing contained in this S.No. shall have effect after the 31st March, 2027”;
- (93) against S. No. 194, in column (3), the following proviso shall be inserted at the end, namely: -
“Provided that nothing contained in this S.No. shall have effect after the 31st March, 2027”;
- (94) against S. No. 195, in column (3), the following proviso shall be inserted at the end, namely: -
“Provided that nothing contained in this S.No. shall have effect after the 31st March, 2027”;
- (95) S. No. 201 and the entries relating thereto shall be omitted with effect from the 1st day of April, 2026;
- (96) S. No. 204 and the entries relating thereto shall be omitted with effect from the 1st day of May, 2026;
- (97) against S. No. 205, in column (3), in the proviso, for the figures, letters and word “31st March, 2026”, the figures, letters and word “31st March, 2028” shall be substituted;
- (98) against S. No. 208, in column (3), in the proviso, for the figures, letters and word “31st March, 2026”, the figures, letters and word “31st March, 2028” shall be substituted;
- (99) against S. No. 209, in column (3), in the proviso, for the figures, letters and word “31st March, 2026”, the figures, letters and word “31st March, 2028” shall be substituted;
- (100) S. No. 213 and the entries relating thereto shall be omitted;
- (101) against S. No. 214, in column (3), against item (i), for the entries “210, 212 and 213”, the entries “210 and 212” shall be substituted;
- (102) S. No. 217 and the entries relating thereto shall be omitted;
- (103) S. No. 218 and the entries relating thereto shall be omitted with effect from the 1st day of April, 2026;
- (104) S. No. 219 and the entries relating thereto shall be omitted with effect from the 1st day of April, 2026;
- (105) S. No. 220 and the entries relating thereto shall be omitted;
- (106) S. No. 221 and the entries relating thereto shall be omitted with effect from the 1st day of May, 2026;
- (107) for S. No. 222 and the entries relating thereto, the following S. No. and entries shall be substituted, namely:-

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
“222.	7407, 7408	Copper wire of refined copper of which the maximum cross-sectional dimension exceeds 6mm or copper rods of refined copper, for the manufacture of photovoltaic ribbon or tinned copper interconnect or cell interconnect or string interconnect or the photovoltaic connect or photovoltaic ribbon or solar ribbon for manufacture of solar photovoltaic cell or modules: Provided that nothing contained in this S.No. shall have effect after the 31 st March, 2028	Nil	-	3”;

- (108) S. No. 223 and the entries relating thereto shall be omitted with effect from the 1st day of May, 2026;
- (109) S. No. 224 and the entries relating thereto shall be omitted with effect from the 1st day of May, 2026;
- (110) S. No. 225 and the entries relating thereto shall be omitted with effect from the 1st day of May, 2026;
- (111) S. No. 226 and the entries relating thereto shall be omitted with effect from the 1st day of May, 2026;
- (112) after S. No. 226 and the entries relating thereto, the following S. No. and entries shall be inserted, namely:-

(123) S. No. 236 and the entries relating thereto shall be omitted with effect from the 1st day of April, 2026;

- (124) against S. No. 237, in column (3), in the proviso, for the figures, letters and word “31st March, 2026”, the figures, letters and word “31st March, 2028” shall be substituted;
- (125) against S. No. 238, in column (3), in the proviso, for the figures, letters and word “31st March, 2026”, the figures, letters and word “31st March, 2028” shall be substituted;
- (126) against S. No. 239, in column (3), in the proviso, for the figures, letters and word “31st March, 2026”, the figures, letters and word “31st March, 2028” shall be substituted;
- (127) S. No. 243 and the entries relating thereto shall be omitted with effect from the 1st day of April, 2026;
- (128) against S. No. 246, in column (3), in the proviso, for the figures, letters and word “31st March, 2026”, the figures, letters and word “31st March, 2028” shall be substituted;
- (129) against S. No. 247, in column (3), in the proviso, for the figures, letters and word “31st March, 2026”, the figures, letters and word “31st March, 2028” shall be substituted;
- (130) S. No. 255 and the entries relating thereto shall be omitted with effect from the 1st day of May, 2026;
- (131) against S. No. 256, in column (3), in the proviso, for the figures, letters and word “31st March, 2026”, the figures, letters and word “31st March, 2028” shall be substituted;
- (132) S. No. 257 and the entries relating thereto shall be omitted with effect from the 1st day of May, 2026;
- (133) S. No. 258 and the entries relating thereto shall be omitted;
- (134) S. No. 259 and the entries relating thereto shall be omitted with effect from the 1st day of May, 2026;
- (135) against S. No. 267, in column (3), in the proviso, for the figures, letters and word “31st March, 2026”, the figures, letters and word “31st March, 2028” shall be substituted;
- (136) against S. No. 268, in column (3), in the proviso, for the figures, letters and word “31st March, 2026”, the figures, letters and word “31st March, 2028” shall be substituted;
- (137) against S. No. 269, in column (3), in the proviso, for the figures, letters and word “31st March, 2026”, the figures, letters and word “31st March, 2028” shall be substituted;
- (138) against S. No. 270, in column (3), in the proviso, for the figures, letters and word “31st March, 2026”, the figures, letters and word “31st March, 2028” shall be substituted;
- (139) S. No. 271 and the entries relating thereto shall be omitted with effect from the 1st day of April, 2026;
- (140) against S. No. 272, in column (3), in the proviso, for the figures, letters and word “31st March, 2026”, the figures, letters and word “31st March, 2028” shall be substituted;
- (141) against S. No. 273, in column (3), in the proviso, for the figures, letters and word “31st March, 2026”, the figures, letters and word “31st March, 2028” shall be substituted;
- (142) against S. No. 274, in column (3), in the proviso, for the figures, letters and word “31st March, 2026”, the figures, letters and word “31st March, 2028” shall be substituted;
- (143) S. No. 275 and the entries relating thereto shall be omitted with effect from the 1st day of April, 2026;
- (144) S. No. 276 and the entries relating thereto shall be omitted with effect from the 1st day of April, 2026;
- (145) against S. No. 277, in column (3), in the proviso, for the figures, letters and word “31st March, 2026”, the figures, letters and word “31st March, 2028” shall be substituted;
- (146) after S. No. 278 and the entries relating thereto, the following S. No. and entries shall be inserted, namely:-

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
“278A.	8501 10 20, 8504 31 00, 8516 80 00, 8516 90 00	The following goods for use in the manufacture of Microwave Ovens falling under tariff item 8516 50 00, namely: - (i) AC Synchronous Motor or AC Fan Motor (8501 10 20) (ii) Transformer (8504 31 00) (iii) Electric Heating Resistors (8516 80 00) (iv) Other Parts (8516 90 00) Provided that nothing contained in this Sl. No. shall have effect after 31 st March, 2028	Nil	-	3”;

- (147) against S. No. 280, in column (3), in the proviso, for the figures, letters and word “31st March, 2026”, the figures, letters and word “31st March, 2028” shall be substituted;
- (148) S. No. 284 and the entries relating thereto shall be omitted with effect from the 1st day of May, 2026;
- (149) S. No. 285 and the entries relating thereto shall be omitted;

- (150) S. No. 287 and the entries relating thereto shall be omitted;
- (151) S. No. 291 and the entries relating thereto shall be omitted with effect from the 1st day of April, 2026;
- (152) against S. No. 292, in column (3), for the proviso, the following provisos shall be substituted, namely:-
“Provided that item (i) shall cease to have effect after 31st March, 2026:
Provided further that item (ii) shall cease to have effect after 31st March, 2028.”;
- (153) against S. No. 293, in column (3), in the proviso, for the figures, letters and word “31st March, 2026”, the figures, letters and word “31st March, 2028” shall be substituted;
- (154) against S. No. 294, in column (3), in the proviso, for the figures, letters and word “31st March, 2026”, the figures, letters and word “31st March, 2028” shall be substituted;
- (155) against S. No. 295, in column (3), in the proviso, for the figures, letters and word “31st March, 2026”, the figures, letters and word “31st March, 2028” shall be substituted;
- (156) against S. No. 296, in column (3), in the proviso, for the figures, letters and word “31st March, 2026”, the figures, letters and word “31st March, 2028” shall be substituted;
- (157) against S. No. 297, in column (3), in the proviso, for the figures, letters and word “31st March, 2026”, the figures, letters and word “31st March, 2028” shall be substituted;
- (158) against S. No. 302, in column (3), in the proviso, for the figures, letters and word “31st March, 2026”, the figures, letters and word “31st March, 2028” shall be substituted;
- (159) against S. No. 303, in column (3), the proviso shall be omitted;
- (160) S.No. 303 and the entries relating thereto shall be omitted with effect from the 1st day of May, 2026;
- (161) against S. No. 306, in column (3), in the proviso, for the figures, letters and word “31st March, 2026”, the figures, letters and word “31st March, 2028” shall be substituted;
- (162) S. No. 309 and the entries relating thereto shall be omitted with effect from the 1st day of April, 2026;
- (163) S. No. 310 and the entries relating thereto shall be omitted;
- (164) S. No. 312 and the entries relating thereto shall be omitted with effect from the 1st day of May, 2026;
- (165) against S. No. 314, in column (3), in the proviso, for the figures, letters and word “31st March, 2026”, the figures, letters and word “31st March, 2028” shall be substituted;
- (166) against S. No. 319, in column (3), in the proviso, for the figures, letters and word “31st March, 2026”, the figures, letters and word “31st March, 2028” shall be substituted;
- (167) against S. No. 320, in column (3), in the proviso, for the figures, letters and word “31st March, 2026”, the figures, letters and word “31st March, 2028” shall be substituted;
- (168) against S. No. 321, in column (3), in the proviso, for the figures, letters and word “31st March, 2026”, the figures, letters and word “31st March, 2028” shall be substituted;
- (169) against S. No. 333, in column (3), in the proviso, for the figures, letters and word “31st March, 2026”, the figures, letters and word “31st March, 2028” shall be substituted;
- (170) against S. No. 334, in column (3), in the proviso, for the figures, letters and word “31st March, 2026”, the figures, letters and word “31st March, 2028” shall be substituted;
- (171) after S.No. 334 and the entries relating thereto, the following S.No. and entries shall be inserted, namely:-

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
“334A.	Any Chapter	Raw materials for manufacture of parts of aircraft for maintenance, repair, or overhauling of (i) aircraft falling under heading 8802; or (ii) components or parts, including engines, of aircrafts of heading 8802; Provided that these goods are imported by Public Sector Units under the Ministry of Defence: Provided further that nothing contained in this S.No. shall have effect after the 31 st March, 2028.	Nil	-	3 and 89”;

- (172) against S. No. 335, in column (3), in the proviso, for the figures, letters and word “31st March, 2026”, the figures, letters and word “31st March, 2028” shall be substituted;

(173) after S.No. 335 and the entries relating thereto, the following S.No. and entries shall be inserted, namely:-

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
“335A.	Any Chapter	Components or parts including engines, of aircraft of heading 8802- (i) for manufacture of aircraft falling under heading 8802; (ii) for manufacture of parts of aircraft at (i); Provided that nothing contained in this S.No. shall apply to goods covered under S.No. 335 of TABLE I of this notification: Provided further that nothing contained in this S.No. shall have effect after the 31 st March, 2028.	Nil	-	3”;

- (174) against S. No. 336, in column (3), in the proviso, for the figures, letters and word “31st March, 2026”, the figures, letters and word “31st March, 2028” shall be substituted;
- (175) against S. No. 337, in column (3), in the proviso, for the figures, letters and word “31st March, 2026”, the figures, letters and word “31st March, 2028” shall be substituted;
- (176) against S. No. 338, in column (3), in the proviso, for the figures, letters and word “31st March, 2026”, the figures, letters and word “31st March, 2028” shall be substituted;
- (177) against S. No. 339, in column (3), in the proviso, for the figures, letters and word “31st March, 2026”, the figures, letters and word “31st March, 2028” shall be substituted;
- (178) against S. No. 340, in column (3), in the proviso, for the figures, letters and word “31st March, 2026”, the figures, letters and word “31st March, 2028” shall be substituted;
- (179) against S. No. 341, in column (3), in the proviso, for the figures, letters and word “31st March, 2026”, the figures, letters and word “31st March, 2028” shall be substituted;
- (180) against S. No. 342, in column (3), in the proviso, for the figures, letters and word “31st March, 2026”, the figures, letters and word “31st March, 2028” shall be substituted;
- (181) against S. No. 343, in column (3), in the proviso, for the figures, letters and word “31st March, 2026”, the figures, letters and word “31st March, 2028” shall be substituted;
- (182) against S. No. 345, in column (3), in the proviso, for the figures, letters and word “31st March, 2026”, the figures, letters and word “31st March, 2028” shall be substituted;
- (183) against S. No. 348, in column (3), in the proviso, for the figures, letters and word “31st March, 2026”, the figures, letters and word “31st March, 2028” shall be substituted;
- (184) against S. No. 350, in column (3), in the proviso, for the figures, letters and word “31st March, 2026”, the figures, letters and word “31st March, 2028” shall be substituted;
- (185) against S. No. 353, in column (3), the proviso shall be omitted;
- (186) against S. No. 355, in column (3), in the proviso, for the figures, letters and word “31st March, 2026”, the figures, letters and word “31st March, 2028” shall be substituted;
- (187) against S. No. 356, in column (3), the proviso shall be omitted;
- (188) S. No. 370 and the entries relating thereto shall be omitted with effect from the 1st day of April, 2026;
- (189) S. No. 372 and the entries relating thereto shall be omitted with effect from the 1st day of April, 2026;
- (190) against S. No. 375, in column (3), in the proviso, for the figures, letters and word “31st March, 2026”, the figures, letters and word “31st March, 2028” shall be substituted;
- (191) against S. No. 376, in column (3), in the proviso, for the figures, letters and word “31st March, 2026”, the figures, letters and word “31st March, 2028” shall be substituted;
- (192) against S. No. 377, in column (3), in the proviso, for the figures, letters and word “31st March, 2026”, the figures, letters and word “31st March, 2028” shall be substituted;
- (193) against S. No. 382, in column (3), in the proviso, for the figures, letters and word “31st March, 2026”, the figures, letters and word “31st March, 2028” shall be substituted;
- (194) against S. No. 386, in column (3), in the proviso, for the figures, letters and word “31st March, 2026”, the figures, letters and word “31st March, 2028” shall be substituted;
- (195) against S. No. 387, in column (3), in the proviso, for the figures, letters and word “31st March, 2026”, the figures, letters and word “31st March, 2028” shall be substituted;

- (196) against S. No. 388, in column (3), in the proviso, for the figures, letters and word “31st March, 2026”, the figures, letters and word “31st March, 2028” shall be substituted;
- (197) against S. No. 392, in column (3), in the proviso, for the figures, letters and word “31st March, 2026”, the figures, letters and word “31st March, 2028” shall be substituted;
- (198) against S. No. 396, in column (3), in the proviso, for the figures, letters and word “31st March, 2026”, the figures, letters and word “31st March, 2028” shall be substituted;
- (199) S. No. 397 and the entries relating thereto shall be omitted with effect from the 1st day of April, 2026;
- (200) against S. No. 415, in column (3), in the proviso, for the figures, letters and word “31st March, 2026”, the figures, letters and word “31st March, 2028” shall be substituted;
- (201) against S. No. 440, in column (3), in the proviso, for the figures, letters and word “31st March, 2026”, the figures, letters and word “31st March, 2028” shall be substituted;

II. in the ANNEXURE to TABLE I,-

- (a) against Condition No. 5, in corresponding column Condition, in (ii), for the entry “1%”, the entry “3%” shall be substituted;
- (b) after Condition No. 87, the following Conditions shall be inserted, namely:-

Condition No.	Condition
“88.	If the items manufactured using the imported goods are exported by the importer within twelve months of the date of the import of the said imported goods.
89.	If an officer not below the rank of Joint Secretary to the Government of India in the Ministry of Defence - (i) certifies the quantity, description and technical specifications of the imported goods; (ii) certifies that the said goods are intended for manufacture of parts of aircraft for maintenance, repair, or overhauling of the following goods for the defence forces, namely:- (a) aircraft falling under heading 8802; or (b) components or parts, including engines, of aircrafts of heading 8802; and (iii) recommends the grant of exemption to the imported goods.”;

III. in the LISTS appended to TABLE I,-

- (a) in List 3, after item number 112 and the entries relating thereto, the following item numbers and the entries shall be inserted, namely:-

- “113. Ribociclib
114. Abemaciclib
115. Talycabtagene autoleucel
116. Tremelimumab
117. Venetoclax
118. Ceritinib
119. Brigatinib
120. Darolutamide
121. Toripalimab
122. Serplulimab
123. Tislelizumab
124. Inotuzumab ozogamicin
125. Ponatinib
126. Ibrutinib
127. Dabrafenib
128. Trametinib
129. Ipilimumab.”;

- (b) in List 22, after item number 51 and entries relating thereto, the following item numbers and the entries shall be inserted, namely:-

- “52. Congenital Hyperinsulinemic Hypoglycemia (CHI)
53. Familial Homozygous Hypercholesterolemia
54. Alpha Mannosidosis
55. Primary Hyperoxaluria
56. Cystinosis
57. Hereditary Angioedema
58. Primary Immune Deficiency Disorders.”;

IV. in the TABLE II,-

- (a) against S. No. 1, in column (3), in the proviso, for the figures, letters and word “31st March, 2026”, the figures, letters and word “31st March, 2028” shall be substituted;
- (b) against S. No. 2, in column (3), in the proviso, for the figures, letters and word “31st March, 2026”, the figures, letters and word “31st March, 2028” shall be substituted;
- (c) for S. No. 66 and the entries relating thereto, the following S. No. and entries shall be substituted, namely: -

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
“66.	9801	Goods required for setting up of any Nuclear Power Project specified in List 2 appended to TABLE II, as certified by an officer not below the rank of a Joint Secretary to the Government of India in the Department of Atomic Energy: Provided that nothing contained in this S.No. shall have effect after 30 th September, 2035	Nil	-	20 and 34”;

V. In the ANNEXURE TO TABLE II, after Condition No. 33, the following condition shall be inserted, namely:-

Condition No.	Condition
“34.	If the goods have been imported against contracts, registered on or before 30 th September, 2035, with the concerned Customs House in compliance with the Project Import Regulations, 1986.”;

VI. in the Lists appended to TABLE II,-

- (a) in List 2, after Sl. No. 13 and the entries relating thereto, the following Sl. No. and the entries relating thereto shall be inserted, namely:-

“14.	Any other Nuclear Power Project sponsored by the Department of Atomic Energy in compliance with the Project Import Regulations, 1986.”;
------	---

VII. In Table IV, Sl. No. 1 and the entries relating thereto shall be omitted with effect from the 1st day of April, 2026;

2. Save as otherwise provided, this notification shall come into force on the 2nd day of February, 2026.

[F. No. 334/04/2026-TRU]

DHEERAJ SHARMA, Under Secy.

Note: - The principal notification No. 45/2025-Customs, dated the 24th October, 2025, was published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-Section (i) *vide* number G.S.R. 781(E), dated the 24th October, 2025 and was last amended *vide* notification No. 48/2025-Customs, dated the 14th November, 2025, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-Section (i), *vide* number G.S.R.847 (E), dated the 14th November, 2025.

अधिसूचना

नई दिल्ली, 1 फरवरी, 2026

सं. 03/2026-सीमाशुल्क

सा.का.नि. 84(अ).— सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 (1962 का 52) की धारा 25 की उप-धारा (1) के साथ पठित वित्त अधिनियम, 2018 (2018 का 13) की धारा 110 तथा वित्त अधिनियम, 2021 (2021 का 13) की धारा 124 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार, इस बात से संतुष्ट होते हुए कि ऐसा करना जनहित में आवश्यक है, एतद्वारा नीचे दी गई सारणी के स्तंभ (2) में विनिर्दिष्ट, वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की भारत सरकार की निम्नलिखित अधिसूचनाओं में, उक्त सारणी के स्तंभ (3) में संगत प्रविष्टि में विनिर्दिष्ट तरीके से संशोधन करती है अर्थात्:—

सारणी

क्र. सं.	अधिसूचना संख्या और दिनांक	संशोधन				
(1)	(2)	(3)				
1.	अधिसूचना सं. 11/2018-सीमाशुल्क, दिनांक 2 फरवरी, 2018, जो भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उप-खंड (i) में सा.का.नि. 114(अ), दिनांक 2 फरवरी, 2018 के तहत प्रकाशित हुई	उक्त अधिसूचना की सारणी में— (i) क्र. सं. 1 के समक्ष, स्तंभ (2) में— (क) “2009 19 00,” के पश्चात्, “2106 90 51,” अंतःस्थापित किया जाएगा, जो 1 मई, 2026 से प्रभावी होगा; (ख) “2208,” के पश्चात्, “2504, 2506,” अंतःस्थापित किया जाएगा, जो 1 मई, 2026 से प्रभावी होगा; (ग) “2516 12 00,” के पश्चात्, “2811 22 00,” अंतःस्थापित किया जाएगा, जो 1 मई, 2026 से प्रभावी होगा; (घ) “3406,” के पश्चात्, “3801,” अंतःस्थापित किया जाएगा, जो 1 मई, 2026 से प्रभावी होगा; (ii) क्र. सं. 7 तथा उससे संबंधित प्रविष्टियाँ 1 मई, 2026 से लोपित की जाएंगी; (iii) क्र. सं. 8ज तथा उससे संबंधित प्रविष्टियाँ 1 अप्रैल, 2026 से लोपित की जाएंगी; (iv) क्र. सं. 54क तथा उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर, 1 अप्रैल, 2026 से निम्नलिखित क्र. सं. और प्रविष्टियाँ प्रतिस्थापित की जाएंगी, अर्थात्:— <table><tr><th>(1)</th><th>(2)</th></tr><tr><td>“54क.</td><td>स्पेन्ट कैटलिस्ट या कीमती धातुओं से युक्त राख, जो शीर्ष 7112 के अंतर्गत आती है।”;</td></tr></table>	(1)	(2)	“54क.	स्पेन्ट कैटलिस्ट या कीमती धातुओं से युक्त राख, जो शीर्ष 7112 के अंतर्गत आती है।”;
(1)	(2)					
“54क.	स्पेन्ट कैटलिस्ट या कीमती धातुओं से युक्त राख, जो शीर्ष 7112 के अंतर्गत आती है।”;					

		(v) क्र. सं. 59 तथा उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित क्र. सं. और प्रविष्टियाँ प्रतिस्थापित की जाएंगी, अर्थात्:—									
		(1)	(2)								
		“59.	शीर्षक 9503 के अंतर्गत आने वाले सभी माल”;								
2.	अधिसूचना सं. 11/2021- सीमाशुल्क, दिनांक 1 फरवरी, 2021, जो भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उप-खंड (i) में सा.का.नि. 69(अ), दिनांक 1 फरवरी, 2021 के तहत प्रकाशित हुई	उक्त अधिसूचना की सारणी में, (i) क्र. सं. 13क तथा उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित क्र. सं. और प्रविष्टियाँ प्रतिस्थापित की जाएंगी, अर्थात्:— <table border="1"> <tr> <th>(1)</th><th>(2)</th><th>(3)</th><th>(4)</th></tr> <tr> <td>“13क</td><td>4011 30 00</td><td>अधिसूचना सं. 45/2025- सीमाशुल्क, दिनांक 24 अक्टूबर, 2025 की तालिका I के क्रम सं. 155 और 156 के अंतर्गत आने वाले सामान के अतिरिक्त, सभी माल</td><td>0.5%”.</td></tr> </table>		(1)	(2)	(3)	(4)	“13क	4011 30 00	अधिसूचना सं. 45/2025- सीमाशुल्क, दिनांक 24 अक्टूबर, 2025 की तालिका I के क्रम सं. 155 और 156 के अंतर्गत आने वाले सामान के अतिरिक्त, सभी माल	0.5%”.
(1)	(2)	(3)	(4)								
“13क	4011 30 00	अधिसूचना सं. 45/2025- सीमाशुल्क, दिनांक 24 अक्टूबर, 2025 की तालिका I के क्रम सं. 155 और 156 के अंतर्गत आने वाले सामान के अतिरिक्त, सभी माल	0.5%”.								
		(ii) क्र. सं. 20 के समक्ष, स्तम्भ (3) में, मद (iv) का 1 अप्रैल, 2026 से लोप किया जाएगा।									

2. जहाँ अन्यथा उपबंधित न हो, यह अधिसूचना 2 फरवरी, 2026 से प्रवृत्त होगी।

[फा. सं. 334/04/2026-टीआरयू]

धीरज शर्मा, अवर सचिव

टिप्पणी :

1. प्रधान अधिसूचना सं. 11/2018-सीमाशुल्क, दिनांक 2 फरवरी, 2018, भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उप-खंड (i) में सा.का.नि. 114(अ), दिनांक 2 फरवरी, 2018 द्वारा प्रकाशित की गई थी तथा अंतिम रूप से अधिसूचना सं. 44/2025-सीमाशुल्क, दिनांक 24 अक्टूबर, 2025, जो सा.का.नि. 782(अ), दिनांक 24 अक्टूबर, 2025 द्वारा प्रकाशित, द्वारा संशोधित की गई थी।
2. प्रधान अधिसूचना सं. 11/2021- सीमाशुल्क, दिनांक 1 फरवरी, 2021, भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उप-खंड (i) में सा.का.नि. 69(अ), दिनांक 1 फरवरी, 2021 द्वारा प्रकाशित की गई थी तथा अंतिम रूप से अधिसूचना सं. 44/2025- सीमाशुल्क, दिनांक 24 अक्टूबर, 2025, जो सा.का.नि. 782(अ), दिनांक 24 अक्टूबर, 2025 द्वारा प्रकाशित, द्वारा संशोधित की गई थी।

NOTIFICATION

New Delhi, the 1st February, 2026

No. 03/2026-Customs

G.S.R. 84(E).— - In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 25 of the Customs Act, 1962 (52 of 1962) read with sections 110 of the Finance Act, 2018 (13 of 2018) and 124 of the Finance Act, 2021 (13 of 2021), the Central Government, on being satisfied that it is necessary in the public interest so to do, hereby amends the following notifications of the Government of India in the Ministry of Finance (Department of Revenue), specified in column (2) of the TABLE below, to the extent specified in the corresponding entries in column (3) of the said TABLE, namely:-

TABLE

S. No.	Notification No. and Date	Amendments								
(1)	(2)	(3)								
1.	11/2018-Customs, dated the 2 nd February, 2018, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i), vide number G.S.R. 114(E), dated the 2 nd February, 2018	In the said notification, in the TABLE,- (i) against Sl. No. 1, in column (2), (a) after the figures “2009 19 00,” the figures “2106 90 51,” shall be inserted with effect from the 1st May, 2026; (b) after the figures “2208,” the figures “2504, 2506,” shall be inserted with effect from the 1st May, 2026; (c) after the figures “2516 12 00,” the figures “2811 22 00,” shall be inserted with effect from the 1st May, 2026; (d) after the figures “3406,” the figures “3801,” shall be inserted with effect from the 1st May, 2026; (ii) Sl. No. 7 and the entries relating thereto shall be omitted with effect from the 1st May, 2026; (iii) Sl. No. 8H and the entries relating thereto shall be omitted with effect from the 1st April, 2026; (iv) for Sl. No. 54A and the entries relating thereto, the following Sl. No. and entries shall be substituted with effect from the 1st April, 2026, namely:- <table><tr><th>(1)</th><th>(2)</th></tr><tr><td>“54A.</td><td>Spent catalyst or ash containing precious metals, falling under heading 7112.”;</td></tr></table> (v) for Sl. No. 59 and the entries relating thereto, the following Sl. No. and entries shall be substituted, namely:- <table><tr><th>(1)</th><th>(2)</th></tr><tr><td>“59.</td><td>All goods falling under heading 9503.”;</td></tr></table>	(1)	(2)	“54A.	Spent catalyst or ash containing precious metals, falling under heading 7112.”;	(1)	(2)	“59.	All goods falling under heading 9503.”;
(1)	(2)									
“54A.	Spent catalyst or ash containing precious metals, falling under heading 7112.”;									
(1)	(2)									
“59.	All goods falling under heading 9503.”;									
2.	11/2021-Customs, dated the 1 st February, 2021, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i), vide number G.S.R. 69(E), dated the 1 st February, 2021	In the said notification, in the TABLE,- (i) for Sl. No. 13A and the entries relating thereto, the following Sl. No. and entries shall be substituted, namely:- <table><tr><th>(1)</th><th>(2)</th><th>(3)</th><th>(4)</th></tr><tr><td>“13A.</td><td>4011 30 00</td><td>All goods other than goods covered under S. Nos. 155 and 156 of TABLE I of notification No. 45/2025-Customs, dated the 24th October, 2025</td><td>0.5%”;</td></tr></table> (ii) against Sl. No. 20, in column (3), item (iv) shall be omitted with effect from 1st April, 2026.	(1)	(2)	(3)	(4)	“13A.	4011 30 00	All goods other than goods covered under S. Nos. 155 and 156 of TABLE I of notification No. 45/2025-Customs, dated the 24th October, 2025	0.5%”;
(1)	(2)	(3)	(4)							
“13A.	4011 30 00	All goods other than goods covered under S. Nos. 155 and 156 of TABLE I of notification No. 45/2025-Customs, dated the 24th October, 2025	0.5%”;							

2. Save as otherwise provided, this notification shall come into force on the 2nd day of February, 2026.

[F. No. 334/04/2026-TRU]

DHEERAJ SHARMA, Under Secy.

Note:

1. The principal notification No. 11/2018-Customs, dated the 2nd February, 2018, was published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i), *vide* number G.S.R. 114(E), dated the 2nd February 2018, and was last amended *vide* notification No. 44/2025-Customs, dated the 24th October, 2025, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i), *vide* number G.S.R. 782(E) dated the 24th October, 2025.
2. The principal notification No. 11/2021-Customs, dated the 1st February, 2021, was published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i), *vide* number G.S.R. 69(E) dated the 1st February, 2021, and was last amended *vide* notification No. 44/2025-Customs, dated the 24th October, 2025, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i), *vide* number G.S.R. 782(E) dated the 24th October, 2025.